भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008

(2008 का संख्यांक 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2008

सं0 1–31/2008–बीएंडसीएस –– भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं0 39 जो, –

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (अ) और 45 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (2) तथा उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) यह आदेश दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह जनवरी, 2009 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 3 में, "दिसम्बर, 2007 के प्रथम दिन को प्रचलित तथा चार प्रतिशत से अनधिक राशि की वृद्धि" शब्दों और संख्याओं के पश्चात "और ऐसी बढ़ाई गई राशि के सात प्रतिशत से अनधिक राशि की और वृद्धि'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. प्रधान टैरिफ आदेश की अनुसूची में,–

(क) भाग I में "गैर–कैस क्षेत्रों में केबल ऑपरेटर या मल्टी–सिस्टम ऑपरेटर को फ्री–टु–एयर चैनल और पे–चैनल, दोनों, को ट्रांसमिट या रि–ट्रांसमिट करने के लिए सब्सक्राइबर (खंड 3 के उप–खंड (क) में विनिर्दिष्ट) द्वारा देय प्रभार" शीर्षक के अंतर्गत सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

क्र.सं.	केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसमिट और रि–ट्रांसमिट किए जाने वाले पे–चैनलों और फ्री–टु–एयर चैनलों की संख्या (2)		कॉलम (2) के अंतर्गत उल्लिखित पे–चैनलों और फ्री–टु–एयर चैनलों के लिए प्रथम टेलीविजन कनेक्शन हेतु प्रति माह सब्सक्राइबर द्वारा देय प्रभारों की अधिकतम राशि (सभी करों को छोड़कर) (3)		
(1)	**पे–चैनल 2(क)**	**फ्री–टु–एयर चैनल 2 (ख)**	**एक्स श्रेणी के शहर 3 (क)**	**वाई श्रेणी के शहर 3 (ख)**	**जैड श्रेणी के शहर तथा अन्य 3 (ग)**
1.	बीस पे–चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री–टु–एयर चैनल	एक सौ इकहत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ पचास रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ उनतालीस रुपए मात्र से अधिक नहीं
2.	बीस से अधिक तथा तीस पे–चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री–टु–एयर चैनल	दो सौ चौदह रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ बयासी रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ इकहत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं
3.	तीस से अधिक तथा पैंतालीस पे–चैनलों तक	न्यूनतम तीस फ्री–टु–एयर चैनल	दो सौ इकावन रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ चौदह रुपए मात्र से अधिक नहीं	एक सौ अठानवे रुपए मात्र से अधिक नहीं
4.	पैंतालीस से अधिक पे–चैनल	न्यूनतम तीस फ्री–टु–एयर चैनल	दो सौ अठहत्तर रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ पैंतीस रुपए मात्र से अधिक नहीं	दो सौ चौदह रुपए मात्र से अधिक नहीं

*** भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के का0ज्ञा0 सं0 2(21)/स्था–II (बी)/2004 दिनांक 18.11.2004 के अनुसार तत्कालीन ए क्लास शहर'';**

(ख) भाग II में, तालिका के स्तंभ (2) के अंतर्गत, ''सतहत्तर रूपये'' शब्दों के स्थान पर "बयासी रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) टिप्पणी 4 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

''टिप्पणी–4. अनुसूची के भाग I के स्तंभ 3 (क) और 3 (ख) के अंतर्गत निर्दिष्ट शहरों का वर्गीकरण, वही वर्गीकरण होगा जैसाकि वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 2(13)/2008–स्था.।।(बी) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/स्था.।।(बी)/2004 के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते की पात्रता का निर्धारण करने के प्रयोजन से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों में उल्लिखित किया गया है अथवा ऐसा अन्य वर्गीकरण होगा जैसाकि गृह किराया भत्ता की पात्रता के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट किया जाएगा सिवाए उन शहरों के संबंध में जिन्हें दिनांक 18.11.2004 के का.ज्ञा. सं. 2(21)/स्था.।।(बी)/2004 के अनुसार ए–क्लास शहरों के रूप में मूल रूप से वर्गीकृत किया गया था, जोकि इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ तत्कालीन उन ए–1 क्लास शहरों के साथ वर्गीकृत किया जाना जारी रहेंगे जिन्हें दिनांक 29 अगस्त, 2008 के उक्त का.ज्ञा. सं. 2(13)/2008–स्था.।।(बी) के अनुसार अब एक्स–क्लास शहरों के रूप में अब वर्गीकृत कर दिया गया है।

(आर.एन. चौबे)

प्रधान सलाहकार (बीएंडसीएस)

टिप्पणी 1: इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ (नौवां संशोधन) आदेश, 2008 के उद्देश्य और कारणों का वर्णन करता है।

टिप्पणी 2: दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 (2004 का 6), अधिसूचना सं0 1–29/2004–बीएंडसीएस के तहत दिनांक 1 अक्तूबर, 2004 को प्रकाशित हुआ था तथा इसमें बाद में अधिसूचना सं0 1–29/2004–बीएंडसीएस दिनांक 26 अक्तूबर, 2004, सं0 1–29/2004–बीएंडसीएस दिनांक 1 दिसम्बर, 2004, सं0 1–13/2005–बीएंडसीएस दिनांक 29 नवम्बर, 2005, सं0 1–2/2006–बीएंडसीएस दिनांक 7 मार्च, 2006, सं0 1–2/2006–बीएंडसीएस दिनांक 24 मार्च, 2006, सं0 1–13/2005–बीएंडसीएस दिनांक 31 जुलाई, 2006, सं0 1–19/2006–बीएंडसीएस दिनांक 21 नवम्बर, 2006 तथा सं0 1–1/2007–बीएंडसीएस दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधन किए गए।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

वर्ष 2004 में, प्राधिकरण ने केबल सेवाओं के लिए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश 2004 (2004 का 6) जारी किया था जिसमें केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर को, केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों/प्रसारकों को (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित), मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रसारकों को (उनकी प्राधिकृत वितरण एजेंसियों सहित) अदा किए जाने वाले फ्री–टु–एयर तथा पे–चैनलों, दोनों के संबंध में, 26 दिसम्बर, 2003 को प्रचलित केबल प्रभारों को, करों को छोड़कर ऐसे प्रभारों पर अधिकतम सीमा बनाया गया था। यथासंशोधित टैरिफ आदेश दिनांक 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए नए पे–चैनलों या उस तारीख को विद्यमान एफटीए चैनलों, जो बाद में पे–चैनल में बदल गए, अथवा कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत 26.12.2003 को दर्शाई गई पे–चैनलों की संख्या में कटौती पर सीलिंग में वृद्धि/कमी की अनुमति भी देता है।

2. बाद में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आधार पर 1 दिसम्बर, 2004 के दूसरे टैरिफ संशोधन आदेश तथा 29 नवम्बर, 2005 के तीसरे टैरिफ संशोधन आदेश के द्वारा केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति से संबद्ध 7 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई। केबल प्रभारों में मुद्रास्फीति संबंधी यह वृद्धि क्रमशः 1 जनवरी, 2005 और 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी होनी थी। तथापि, एक उपभोक्ता संगठन द्वारा दायर एक अपील पर टीडीसेट द्वारा 20.12.2005 को स्थगनादेश जारी किए जाने के कारण 4 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित तीसरे संशोधन आदेश को लागू नहीं किया जा सका। तदुपरांत, टीडीसेट ने दिनांक 22.12.2006 के अपने आदेश के द्वारा स्थगनादेश को रद्द कर दिया।

3. ट्राई ने केबल प्रभारों में सीलिंग को जारी रखते हुए दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के अपने आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा ऐसे क्षेत्रों में केबल प्रभारों में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी जिनमें सेवा प्रदाताओं ने टीडीसेट द्वारा 22 दिसम्बर, 2006 को स्थगनादेश को रद्द

करने के बाद प्रभारों में वृद्धि नहीं की थी। प्रचालन सुविधा की दृष्टि से इस टैरिफ संशोधन आदेश में संदर्भ तारीख को भी 26 दिसम्बर, 2003 से बदलकर 1 दिसम्बर, 2007 कर दिया गया।

4. इसके अलावा, प्राधिकरण ने 4 अक्तूबर, 2007 के अपने आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा केबल प्रभारों पर रोक जारी रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के शहरों, नगरों तथा अन्य बस्तियों के लिए ट्रांसमिट चैनलों की संख्या के आधार पर सामान्य सब्सक्राइबरों तथा अवशिष्ट वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए विशेष सीलिंगों की भी व्यवस्था की।

5. कुछ प्रसारक, दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के आठवें संशोधन आदेश, विशेष तौर पर एमएसओ/केबल ऑपरेटरों के लिए अपने चैनलों को अनिवार्य रूप से अला–कार्टे आधार पर उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान के विरूद्ध अपील सं. 10 (सी), 11 (सी), 12 (सी) और 15 (सी) के तहत माननीय टीडीसेट मे चले गए जिसपर माननीय टीडीसेट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा। केबल ऑपरेटरों तथा एक एमएसओ का समूह भी शहरी विशिष्ट सीलिंगों और शहरों के वर्गीकरण के विरूद्ध अपील सं. 13 (सी) और 14 (सी) के तहत माननीय टीडीसेट में चला गया। तथापि, किसी भी अपीलकर्त्ता ने 4 अक्तूबर, 2007 के आठवें टैरिफ संशोधन आदेश द्वारा अनुमत्य टैरिफ में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का मुद्‌दा नहीं उठाया।

6. टैरिफ के विकास के लिए एक विनियामक ढांचे की ओर इशारा करते हुए, ट्राई ने " टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण संबंधी मुद्‌दे" पर अपनी सिफारिशों में (जिन्हें 1 अक्तूबर, 2004 को सरकार को भेजा गया था) भी यह कहा था कि मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु सीलिंग में आवधिक रूप से संशोधन किया जाएगा। 4 अक्तूबर, 2007 को आठवां टैरिफ संशोधन आदेश जारी करते समय भी यह कहा गया था कि प्राधिकरण टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट टैरिफ सीलिंग की बारीकी से निगरानी करेगा। विगत की भांति, मुद्रास्फीति के आधार पर विनिर्दिष्ट सीलिंग में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई।

7. आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, जोकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय है, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक आधार पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में बदलाव के आंकड़े का रख–रखाव करता है। विभिन्न पण्यों के आधार पर डब्ल्यूपीआई की

गणना की जाती है। अतः सभी पण्य वस्तुओं पर आधारित डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति आधारित समायोजन का निर्धारण करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय होगी जोकि विगत में भी गणना का आधार रही है। डब्ल्यूपीआई से संबंधित मासिक डाटा अगस्त, 2008 तक उपलब्ध है। तथापि, साप्ताहिक डाटा 29 अक्तूबर, 2008 तक का उपलब्ध है, यद्यपि साप्ताहिक डाटा में पिछले 8 सप्ताह के आंकडे अनन्तिम हैं।

8. मासिक डब्ल्यूपीआई डाटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि डब्ल्यूपीआई अगस्त, 2007 से अगस्त, 2008 तक 223.8 से बढ़कर 249.3 हो गया। अतः यदि अगस्त, 2007 से अगस्त, 2008 तक की गणना की जाए तो मुद्रास्फीति में 12.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, यदि सितम्बर, 2007, अक्तूबर, 2007, नवम्बर, 2007 और दिसम्बर, 2007 और अंत में अगस्त, 2008 के संदर्भ में यदि इसकी गणना की जाए तो, मुद्रास्फीति क्रमशः 12.13 प्रतिशत, 12.08 प्रतिशत, 11.72 प्रतिशत और 11.46 प्रतिशत बैठती है। इसी प्रकार यदि 6 अक्तूबर, 2007 (आठवां टैरिफ संशोधन आदेश जारी करने की तारीख की सबसे नजदीक तारीख) से 6 अक्तूबर, 2008 तक की अवधि के लिए साप्ताहिक डब्ल्यूपीआई आंकडों के आधार पर गणना की जाती है, तो मुद्रास्फीति 11.44 प्रतिशत होती है। तथापि, यदि 29 नवम्बर, 2008 को समाप्त हुए सप्ताह हेतु उपलब्ध अद्यतन आंकडों तथा क्रमशः 6 अक्तूबर, 2007 और 1 दिसम्बर, 2007 (जिस तारीख से आठवां टैरिफ संशोधन आदेश प्रभावी हुआ था) को समाप्त हुए सप्ताह के डब्ल्यूपीआई आंकडे के साथ तुलनात्मक व गणना की जाए तो मुद्रास्फीति पुनः 8.69 प्रतिशत से घटकर 7.99 प्रतिशत हो जाती है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में मुद्रास्फीति लगभग 12 प्रतिशत थी किंतु यह घटकर लगभग 8 प्रतिशत हो गई और रूझान यह दर्शाता है कि इसमें और गिरावट आएगी। प्रशासित ईंधन मूल्यों में हाल ही में की गई कटौती से यह आशा है कि मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत से नीचे आ जाएगी। इस कारण तथा कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए, प्राधिकरण 1 जनवरी, 2009 से केबल टीवी सेवाओं की दरों में 7 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को उचित मानता है।

9. दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश ने पे–चैनलों की संख्या और शहरों/नगरों के वर्गीकरण के आधार पर विशिष्ट टैरिफ सीलिंग को भी विनिर्दिष्ट किया था। अतः अब यह उचित समझा गया है कि केबल प्रभारों में 7 प्रतिशत की वृद्धि को हिसाब में लेकर रुपये

के संदर्भ में सीलिंग का पुनर्निर्धारण करके और फिर उसे निकटतम पांच रुपयों में राउंड ऑफ करके मुद्रास्फीति संबंधी समायोजन की व्यवस्था की जाए। ऐसा राउंड ऑफ करना उपभोक्ताओं तथा सेवा प्रदाताओं की सुविधा के मद्देनजर वांछनीय है।

10. उदभूत हुआ एक अन्य मुद्दा हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते के प्रयोजनार्थ शहरों का वर्गीकरण करने से संबंधित है। पहले एचआरए के प्रयोजनार्थ शहरों/नगरों/बस्तियों को ए–1, ए, बी–1, बी, बी–2, सी और अवर्गीकृत श्रेणियों में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा दिनांक 18.11.2004 को जारी का.ज्ञा.सं. 2 (21)/स्था. II (बी)/2004 के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, जिसमें समय–समय पर संशोधन किया जाता रहा। इस वर्गीकरण का प्रयोग 4 अक्तूबर, 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश में ए–1 और ए–क्लास शहरों को एक समूह, बी–1 और बी–2 क्लास शहरों को दूसरे समूह तथा सी और "अवर्गीकृत" को तीसरे समूह हेतु सीलिंग निर्धारण के लिए किया गया। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय को लागू करने के बाद, वित्त मंत्रालय ने अब दिनांक 29 अगस्त, 2008 के अपने का.ज्ञा. सं.2(13)/2008–स्था II (बी) द्वारा शहरों के वर्गीकरण में परिवर्तन कर दिया है। अब पुराने ए–1 शहरों को "एक्स'' क्लास शहर, और पुराने ए, बी–1 और बी–2 क्लास शहरों को ''वाई'' क्लास शहर कहा गया है। "सी" और "अवर्गीकृत" नगरों और बस्तियों को "जेड" क्लास नाम दिया गया है। चूंकि दिनांक 4 अक्तूबर, 2007 के टैरिफ संशोधन आदेश में यह भी प्रावधान है कि शहरों का वर्गीकरण, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों हेतु मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से समय–समय पर किए गए वर्गीकरण के समान होगा (दिनांक 4.10.2007 के टैरिफ संशोधन आदेश की अनुसूची के भाग–दो के नीचे टिप्पणी–4 को देखें) अब प्रधान टैरिफ आदेश में शहरों के इस वर्गीकरण में संशोधन को दर्शाए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा यथाअधिसूचित शहरों के वर्गीकरण को भी टैरिफ आदेश की अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तथापि, गैर–कैस केबल क्षेत्र हेतु टैरिफ के प्रयोजनार्थ प्रधान टैरिफ आदेश में पूर्ववर्ती ''ए'' क्लास शहरों को ''ए–1'' क्लास शहरों के समान माना गया है। वर्तमान वितरण को बनाए रखने के लिए इस टैरिफ आदेश में पूर्ववर्ती ''ए'' क्लास शहरों के साथ वर्तमान ''एक्स'' क्लास शहरों को एक साथ बनाए रखा गया है ताकि इन शहरों के पणधारकों के हित प्रभावित न हों।

11. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को मकान किराया भत्ता के प्रयोजन से ''एक्स'' क्लास शहर के बराबर मानने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसी प्रकार, भारत सरकार ने जालंधर कैंट, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर को मकान किराया भत्ते के प्रयोजन से ''वाई'' क्लास शहर के बराबर मानने हेतु आदेश जारी किए हैं। इस टैरिफ आदेश के उपबंध वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के इन आदेशों के अनुरूप इन शहरों पर लागू होंगे जैसाकि टैरिफ आदेश की अनुसूची की टिप्पणी–4 में पहले ही दिया गया है। तदनुसार, टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शहरों और नगरों की पूरी सूची अनुबंध–I पर दी गई है। उक्त सूची भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का0ज्ञा0 सं0 2(13)/2008–स्था.II (बी) पर आधारित है और इसमें उक्त का0ज्ञा0 में यथाप्रदर्शित विशिष्ट शहरों के मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमत्य परिवर्तनों को भी शामिल किया गया है। उक्त सूची में इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनार्थ पूर्ववर्ती ए–क्लास शहरों के साथ–साथ वर्तमान एक्स–क्लास शहरों का वर्गीकरण भी दिया गया है जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में बताया गया है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुबंध I

वर्तमान टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत शहरों और नगरों की सूची

क्रमांक	तत्कालीन ''ए'' क्लास शहरों सहित ''एक्स" क्लास शहर		तत्कालीन ''ए'' क्लास शहरों को छोड़कर ''वाई" क्लास शहर
1.	अहमदाबाद (यू/ए)#	1.	आगरा (यू/ए)
2.	बंगलुरू (यू/ए)	2.	अलीगढ़
3.	चेन्नई (यू/ए)	3.	इलाहबाद (यू/ए)
4.	दिल्ली (यू/ए)	4.	अमरावती
5.	फरीदाबाद*	5.	अमृतसर (यू/ए)
6.	गाजियाबाद*	6.	आसनसोल (यू/ए)
7.	वृहद मुंबई (यू/ए)	7.	औरंगाबाद (यू/ए)
8.	गुड़गांव*	8.	बरेली (यू/ए)
9.	हैदराबाद (यू/ए)	9.	बेलगाम (यू/ए)
10.	कोलकाता (यू/ए)	10.	भावनगर (यू/ए)
11.	जयपुर#	11.	भिवंडी (यू/ए)
12.	कानपुर (यू/ए)#	12.	भोपाल (यू/ए)
13.	लखनऊ (यू/ए)#	13.	भुवनेश्वर (यू/ए)
14.	नागपुर (यू/ए)#	14.	बीकानेर
15.	नोएडा*	15.	चंडीगढ़
16.	पुणे (यू/ए)#	16.	कोयम्बटूर (यू/ए)
17.	सूरत (यू/ए)#	17.	कटक (यू/ए)
		18.	देहरादून (यू/ए)
		19.	धनबाद (यू/ए)
		20.	दुर्ग–भिलाई नगर (यू/ए)
		21.	गोवा*
		22.	गोरखपुर
		23.	गुंटूर
		24.	गुवाहाटी (यू/ए)
		25.	ग्वालियर (यू/ए)
		26.	हुबली–धारवाड़
		27.	इंदौर (यू/ए)
		28.	जबलपुर (यू/ए)
		29.	जालंधर कैंट*
		30.	जालंधर (यू/ए)
		31.	जम्मू (यू/ए)
		32.	जामनगर (यू/ए)
		33.	जमशेदपुर (यू/ए)
		34.	जोधपुर (यू/ए)

		35.	कोच्चि (यू/ए)
		36.	कोल्हापुर (यू/ए)
		37.	कोटा (यू/ए)
		38.	कोझीकोड (यू/ए)
		39.	लुधियाना (यू/ए)
		40.	मदुरई (यू/ए)
		41.	मंगलौर (यू/ए)
		42.	मेरठ (यू/ए)
		43.	मुरादाबाद
		44.	मैसूर (यू/ए)
		45.	नासिक (यू/ए)
		46.	पटना (यू/ए)
		47.	पांडिचेरी (यू/ए)
		48.	पोर्ट ब्लेयर*
		49.	रायपुर (यू/ए)
		50.	राजकोट (यू/ए)
		51.	रांची (यू/ए)
		52.	सलेम (यू/ए)
		53.	शिलांग*
		54.	सोलापुर
		55.	श्रीनगर (यू/ए)
		56.	तिरूवनंतपुरम (यू/ए)
		57.	तिरूचिरापल्ली (यू/ए)
		58.	तिरूप्पर (यू/ए)
		59.	वडोदरा (यू/ए)
		60.	वाराणसी (यू/ए)
		61.	विजयवाड़ा (यू/ए)
		62.	विशाखापट्टनम (यू/ए)
		63.	वारंगल (यू/ए)

टिप्पणी

(i) उपर्युक्त सूची भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के का0ज्ञा0 सं0 2(137)/2008–स्था.II (बी) पर आधारित है, जिसमें टिप्पणी (ii) और (iii) में बताए गए संशोधन शामिल हैं।

(ii)* वित्त मंत्रालय ने ऐसे आदेश जारी किए है जिनमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा को एचआरए के प्रयोजनार्थ ''एक्स'' क्लास शहरों के समान माना गया है। अतः उन्हें इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए ''एक्स'' क्लास शहरों में शामिल किया गया है। इसी प्रकार, वित्त मंत्रालय ने ऐसे आदेश भी जारी किए हैं जिनमें एचआरए के प्रयोजनार्थ जालंधर कैंट, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर को ''वाई'' क्लास के समान माना गया है। अतः उन्हें इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन के लिए ''वाई'' क्लास शहरों में शामिल किया गया है।

(iii)# ए क्लास शहरों के तत्कालीन वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले शहर होने के नाते अहमदाबाद (यू/ए), जयपुर, कानपुर (यू/ए), लखनऊ (यू/ए), नागपुर, पुणे (यू/ए) और सूरत (यू/ए) शहर इस टैरिफ आदेश के प्रयोजनों के लिए ''एक्स'' क्लास शहरों (तत्कालीन ए–1 क्लास शहरों) के समान माना जाता रहेगा।

****